रिकार्ड दस्तावेज तथा वकील प्रार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः ग्राम फूलेता पटवार मण्डल फूलेता तहसील नैनवां जिला बून्दी की खाता सं. 253 के खसरा संख्या 542, 542/1067 की राजस्व नक्शे में हो रही पृथक-पृथक तरमीम में किसी प्रकार से परिवर्तन नही करें तथा पूर्व में हो रही तरमीम को यथावत रखा जावे तथा राजस्व नक्शे के साथ किसी प्रकार से छेड़छाड़ नही करें, ना ही ऐसा अन्य से करावें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 2 को अग्रिम आदेशों तक पाबंद किया जाता है। अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 11.4.22 को पेश हो।

श्योराम
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

11/4/22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान [illegible] पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ [illegible] राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 26/7/22 को पेश हो।

20/4/22 पत्रावली मूलवाद में राजीनामा होने से आज पेश हुई। मूलवाद डिक्री हो जाने से इस प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही शेष नही रहने से प्रार्थना पत्र [illegible] किया जाता है। निर्णय सुनाया [illegible] बाद तकमील मूलवाद [illegible] रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.29 16:51:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner